R.E.O.- 183

जोधपुर

[redacted] विद्युत वितरण [redacted]

निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० /प्रे० 826 जोधपुर, दिनांक 4/6/10

आदेश

विषय :– कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना"।

****

कृषि क्षेत्रो मे उपभोक्ताओ द्वारा अनाधिकृत भार बढाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवेदन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमे अनाधिकृत भार वृद्वि से कमी एव विसंगतिया उत्पन हो रही है तथा राजस्व की हानि भी हो रही है। कृषि उपभोक्ताओ को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्यसे "स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना" पूर्व में दिसम्बर 2009 तक लागू की गई, जिसके तहत कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार मे अनाधिकृत भार वृद्वि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक हो तो ऐसे उपभोक्ताओ से कोई पेनल्टी राशि नही ली जाने तथा बढे हुए भार के लिये मात्र घरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिये जाने, उपभोक्ता की बिलिंग बढे हुए भार के अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये। ऐसे कृषक जो उसी कुए पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्वि करते है अथवा दूसरे कुऐ पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/ मुरब्बा मे हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढाते है उन्हे इस योजना का लाभ नही दिया गया था।

इस सबंध मे उक्त योजना को 1 जून 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक एक बार फिर लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसमे पिछले आदेशो के निम्न निर्णय भी शामिल किये गये है :–

1. इस स्वैच्छिक भार वृद्वि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओ को जिनके कनेक्शनो को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है उनसे यदि विद्युत लोड की चैकिग के दौरान भी लोड बढा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनेल्टी राशि नही ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित किया जावे।
2. जिन कृशि उपभोक्ताओ के कनेक्शनो को एक वर्ष की अवधि नही हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु उनके लिये उन्हे घरोहर राशि के अतिरिक्त रुपये 2500/– प्रति हॉर्स पॉवर (अतिरिक्त बढे भार पर) देने होगे।
3. यदि पद (2) मे इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नही उठाते है तो उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिग के दौरान उनका लोउ स्वीकृत लोड से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओ को प्रति एच.पी. रुपये (2500+2500) = कुल रुपये 5000/– मात्र पैनेल्टी जमा करानी होगी।

उक्त " स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना" 1 जून 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक प्रभावी रहेगी।

उक्त योजना की सूचना/जानकारी उपभोक्ताओ को भी दे दी जाये।

4/6

(के.आर.मेहता)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

- प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- जिला कलेक्टर जोधपुर/पाली/बाडमेर/जालौर/चूरु/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर।
- निदेशक (वित्त) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य अभियन्ता (जो.स.–द्वितीय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जो.स.प्रथम/बी.स) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी,(ए एण्ड आर/.................../.....................) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर/जयपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक महोदय, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
- प्रावै.सहायक माननीय प्रबन्धक निदेशक महोदय, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि. एवं संधा./सर्तकता/आई एण्ड एस/आर ए एण्ड सी/टी.डब्लू/वाणिज्य/एमएमसी /एमएण्डपी/बीएफएल) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बाड़मेर/बीकानेर/जैसलमेर/चुरू/ श्रीगंगानगर /हनुमानगढ़/जालौर।
- निजी सचिव, माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव,(एम) राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय सलाहकार (एम) के अवलोकनार्थ।
- सहायक अधिकारी , Ombubsman-Commissioner,Collectorate, जोधपुर।
- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) /उप अधीक्षक पुलिस (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी (परि.एवं संधा./एम.एम./अंकेक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/ बीकानेर।
- कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (कार्मिक) जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता(/पवस/विधि/सर्तकता/अंकेक्षण)जोविविनिलि..
  (आप के अधिनिस्थ कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की अतिरिक्त प्रतिलिपी संलग्न है।)
- अधिशाषी अभियन्ता (आई टी) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करे।
- जनसम्पर्क अधिकारी जोविविनिलि,जोधपुर
- सहायक अभियन्ता ( ) जोधपुर डिस्कॉम, (आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त कनिष्ठ अभियनताओ की अतिरिक्त प्रतिया संलग्न है।)

4/6

अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर